


प्र० २ (नियम ११ (४) दोहरा)



विद्या का अधिकार

दोहरा विद्या अधिकार

केंद्रीय विद्या अधिकार

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (UJJAIN), मध्यप्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:-

ई-मेल:-

क्रमांकः/स्कूल आईडी:- 21122338/59811
प्रति,

दिनांक:- 29/04/2017

प्रबंधक,

(Maharaja International School Ujjain)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके अनुबंध पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से प्रशासनीय पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -Maharaja International School Ujjain, Village Chandesari, Near Abhilisha Colony, Dewas Road Ujjain को कक्ष Nursery से कक्ष 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यय्यन होगी:-

- मान्यता विस्तृत नहीं होगी तथा कक्ष 8 से आगे की मान्यता/संवर्द्धता की कोई वाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांध 2) के उपबंधों का पालन करता।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के बचित समूह तथा कमज़ोर वर्ग के बालकों को कक्ष 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दबा में, स्कूल यादें सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस पकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा वशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (पि-स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 के उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध पि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में विनिर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा।
 - (क) आयु के सदूत के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तृत आवश्यकता के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्ष में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को पारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्ति/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की अर्ती की जाएगी; वशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अहता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अहता प्राप्त करनी होंगी;
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समूचित प्राधिकारी व्यारा निर्धारित पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

PRINCIPAL
Maharaja International School


- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

	सुविधाएं	रोटंड में दर्जे	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	90000	90000
10	स्कूल का निश्चित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	23330	20000
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	66662	60000

	अधासारियना का विवरण		Rooms as per RTE	रोटंड में दर्जे	वास्तविक स्थिति
	कक्ष	वास्तविक स्थिति			
1	कक्षों तक उपयोग में आ रहे कक्षों कक्षों	8	500	8	500
2	कार्यालय कक्ष सह-भेड़ार कक्ष-सह-प्रयात्नियापक कक्ष	1	500	1	500
3	भोजनालय-सह-भेड़ार	1	500	1	500

च.	अन्य सुविधाएं	रोटंड में दर्जे		वास्तविक स्थिति	
		संख्या	ओसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	ओसत आकार (वर्ग फीट में)
1	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच वाधा रहित है हाँ/नहीं	हाँ		हाँ	
2	पाठ्य सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ		हाँ	
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ		हाँ	
4	पुस्तकों की संख्या	500		150	
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र	5		2	
6	पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well		Tube Well	
7	पेयजल सुविधा की संख्या	4		2	
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Both Indian & Western		Both Indian & Western	
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	4		4	
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	4		4	
11	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1		1	
12	क्या अंगिन सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं	हाँ		हाँ	

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों वी एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..21122338.. एवं डाइस्कोड (DISE) 23210122304 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड जन्मदर संदर्भित चिह्न दिया जाए।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेवों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपावधि "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 जिला UJJAIN
 मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वर्तमान भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 37-2/2020/20-3

भोपाल, दिनांक 31/12/2020

// परिपत्र //

विभागीय रामसङ्ख्यक परिपत्र दिनांक 21.05.2020 द्वारा ऐसे समरत अशासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालय जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को राखा जाता है उन्हे मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राक्रिया से छूट प्रदान करते हुए विद्यालयों की मान्यता दिनांक 31 मार्च 2021 तक की सम्यावधि हेतु यथावत मान्य किया गया था।

2/ राज्य शिक्षा पंद्रह के पत्र ब्रमाक/राशिके/आरटीई/2020/8225 दिनांक 14.12.2020 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत संचालित ऐसे समरत अशासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालयों हेतु नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु एनआईसी के आरटीई पोर्टल पर दिनांक 18.12.2020 से 18.01.2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समय रीभा नियत की गई है।

3/ दौमान कार्यिड 19 रांगण के दृष्टिगत अशासकीय सरथाओं को होने वाली कठिनाईयों एवं भावनाहीन को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन एवं द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 21 ने प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:

3.1 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत प्रदेश में संचालित ऐसे समरत अशासकीय प्राथमिक/ माध्यमिक विद्यालय को मान्यता नवीनीकरण हेतु वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए उक्त विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण को दिनांक 31 मार्च 2022 तक की सम्यावधि हेतु यथावत मान्य किया जाए।

3.2 शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नवीन मान्यता एवं कक्षा वृद्धि हेतु जिन शैक्षणिक सरथाओं द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार आरटीई भोवाइल १५ हें मध्यम रा ऑनलाइन आवेदन किया गया है उनका निराकरण नियम में शामिल किया जाए।

3.3 उपर्युक्तानुसार ऐसी समरत सरथाओं को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में वर्णित विद्यालय संबोधन हेतु आवश्यक मापदण्डों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

निर्देशानुसार समरत राखिते द्वारा उक्त निर्देशों के पालन हेतु आवश्यक कायेवाही की जाए।

31.12.20
(के.के.द्विवेदी)
उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग